

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय अधिकार में
सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 6827/2023

=====

सोनू कुमार, पिता- श्री बिंदेश्वर महतो, निवासी ग्राम-गोनहर नवादा, डाकघर-खरज जीतवरपुर,
थाना- मुफसिल, जिला-समस्तीपुर, बिहार-848134

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, (बजट, अपील और कल्याण), बिहार सरकार, पटना।
4. पुलिस महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा।
5. पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर।
6. पुलिस उपाधीक्षक, समस्तीपुर।
7. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग, सचिव के माध्यम से, संतोष हवेली, आर. पी. एस.
लॉ कॉलेज के पास बी ब्लॉक, रघुनाथपुर, दानापुर, पटना-801503
8. सचिव, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग, संतोष हवेली, आर. पी. एस. लॉ कॉलेज के
पास बी ब्लॉक, रघुनाथपुर, दानापुर, पटना।- 801503.

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों की ओर से : श्री कुमार कौशिक, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अनिल कुमार, एससी-8।

बीपीएस एससी की ओर से : श्री संजय पांडेय, अधिवक्ता।

श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता।

=====

चयन एवं नियुक्ति---बिहार पुलिस मैनुअल---नियम 673---वर्तमान मामले में निर्धारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो पुलिस बल में शामिल होने का इच्छुक था, को आवेदन पत्र भरते समय आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना आवश्यक था और क्या ऐसा खुलासा न करने से वह पुलिस बल में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, जिसे बाद में सफल घोषित किया गया था और जिसने ज्वाइनिंग दी थी और उसके बाद काम किया था?--- याचिकाकर्ता का यह रुख कि उसने जिस चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, उसके आरंभ होने से पहले बरी हो जाने के कारण आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा नहीं किया था, टिकने योग्य नहीं है---अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र में आपराधिक मामले का खुलासा न करने के आधार पर बर्खास्त कर दिया है, इस बात पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन पत्र में चूक हुई थी, लेकिन उसने पीएम फॉर्म संख्या 101 भरते समय स्वेच्छा से इसकी घोषणा की थी--- याचिकाकर्ता, जिसने दावा किया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय उसकी आयु लगभग 21 वर्ष थी, ने अविवेक किया हो सकता है, लेकिन यदि अविवेक को माफ नहीं किया जाता है तो इससे उसे जीवन भर के लिए अपराधी के रूप में ही चिन्हित किया जाएगा--- आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्ति को सुधारने का होना चाहिए, न कि उसे जीवन भर के लिए अपराधी के रूप में चिन्हित करना---ऑनलाइन आवेदन पत्र में जानकारी न देने के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा में लिए जाने से पहले बर्खास्त करने के बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने रोजगार के अवसर को खोने के तत्काल जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय गलती की होगी---याचिकाकर्ता चयनित होने के लिए सफल हुआ और सेवा में आने से पहले उसने चरित्र सत्यापन फॉर्म भरते समय सही जानकारी दी थी---विवादित आदेश को खारिज किया गया। रिट मंजूर की गई---अधिकारियों को कानून के अनुसार सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया।

(पैरा-14, 21, 22)

(2022) 1 एससीसी 1, (2016) 8 एससीसी 471, (2024) 5 एससीसी 264, (1999)
1 एससीसी 246, (2011) 4 एससीसी 644पर भरोसा
किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

सह-अध्यक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

सी.ए.वी. निर्णय

तारीख: 20-01-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार कौशिक, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार, एससी-8 और बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पाण्डेय तथा विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत कुमार झा को सुना गया

2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 1 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“i. ज्ञापन संख्या 1742 दिनांक 20.06.2022 में निहित आदेश और ज्ञापन संख्या 1620 दिनांक 27.06.2020 में निहित परिणामी आदेश को रद्द करने और अलग रखने के लिए एक आदेश, निर्देश या प्रमाण पत्र की रिट जारी करने के लिए जिसके तहत याचिकाकर्ता जिसे पुलिस उप-निरीक्षक नियुक्त किया गया था, उसे कथित रूप से इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है कि उसने विज्ञापन संख्या 01/2017 के खिलाफ अपने आवेदन पत्र में आपराधिक मामले के पेंडेंसी को दबा दिया था।

ii. दिनांक 14.02.2023 आदेश को रद्द करने और अलग रखने के लिए एक आदेश, निर्देश या प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है।

iii. उत्तरदाता अधिकारियों को निर्देश देने के लिए आदेश, निर्देश या परमादेश जारी करने के लिए कि वे की अवधि के लिए पूरे बकाया वेतन और अन्य सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाली सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करें।"

संक्षिप्त तथ्य:

3. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 4200/- रुपये के ग्रेड वेतन में पुलिस अवरनिरीक्षक के 1717 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 16.09.2017 को विज्ञापन संख्या 01/2017 प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन की शर्तों में पात्र होने के कारण याचिकाकर्ता ने 11.04.2017 पर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा। उनके खिलाफ समस्तीपुर मुफस्सिल पी. एस. मामला संख्या 291/2015 से संबंधित एक आपराधिक मामला लंबित था और इसके बारे में जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था कि साइबर कैफे की ओर से लापरवाही के कारण, आपराधिक मामला उल्लेख नहीं किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 11.03.2018 पर आयोजित की गई थी और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा 05.05.2018 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को सफल पाया गया था। मुख्य परीक्षा 22.07.2018 पर आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा का परिणाम 06.08.2018 पर घोषित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता सफल पाया गया था। शारीरिक परीक्षण 18.09.2018 से 29.09.2018 तक आयोजित किया गया था। शारीरिक पात्रता परीक्षा का परिणाम 09.03.2019 पर घोषित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता सफल हो गया था। याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। चरित्र सत्यापन के लिए उन्हें बिहार पुलिस नियमावली के नियम 656 और 673 के तहत एक फॉर्म भरना था। निर्धारित कॉलम संख्या 7 में, उन्होंने सकारात्मक उत्तर देते हुए दीवानी या आपराधिक मामले के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और खुलासा किया है कि उनके खिलाफ समस्तीपुर मुफस्सिल पी. एस. मामला संख्या 291/201 दिनांक

21.09.2015 लंबित है। इसके बाद, 02.06.2019 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को दरभंगा जिले के बेनीपट्टी पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था। इस आरोप के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया था, उन्हें 14.04.2020 पर निलंबित कर दिया गया था और उन्हें 7 दिनों की अवधि के भीतर अपना कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर कारण दर्शाओ जवाब आश्वस्त करने वाला नहीं पाया गया। ज्ञापन संख्या 326 दिनांक 28.10.2021 में निहित आरोप याचिकाकर्ता को जारी किए गए थे। जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने ज्ञापन संख्या 3725 दिनांक 17.11.2021 के माध्यम से आरोपों को सही पाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। निष्कर्ष में यह दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता ने जमा करने के समय भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने से संबंधित जानकारी को दबा दिया था। दूसरा कारण दर्शाओ नोटिस ज्ञापन संख्या 2815 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने जाँच अधिकारी के निष्कर्षों को अस्वीकार करते हुए दिनांक 01.02.2022 के पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया और अनुशासनात्मक प्राधिकरण से कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि वह अपना अंतिम कारण बताओ जवाब दाखिल कर सके। इस बीच, विद्वान सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर ने 2019 के सत्र परीक्षण संख्या 103 में याचिकाकर्ता को आदेश और दिनांक 07.05.2022 के फैसले से बरी कर दिया। याचिकाकर्ता ने 11.05.2022 दिनांकित पत्र के माध्यम से अनुशासनात्मक प्राधिकरण से उसे आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांकित 27.06.2022 आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की जिसे ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 20.02.2023 में निहित 14.02.2023 के

आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ज्ञापन संख्या 1742 में निहित दिनांक 20.06.2022 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा उसे कथित रूप से इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है कि उसने विज्ञापन संख्या 01/2017 के संदर्भ में अपने आवेदन पत्र में आपराधिक मामले के लंबित होने को दबा दिया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.02.2023 आदेश को रद्द करने की भी मांग की है जिसके द्वारा सजा के आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को भारती दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दर्ज समतीपुर मुफस्सिल पी. एस. केस नंबर 291/2015 दिनांक 21.09.2015 में गलत तरीके से फंसाया गया था, जिसमें उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302,364,120 बी, 201 सपथित धारा 34 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। एफ. आई. आर. में, याचिकाकर्ता को उसके दो भाइयों के साथ केवल सूचना देने वाले और याचिकाकर्ता के पिता के बीच कथित रूप से शत्रुता के कारण संदेह के आधार पर नामित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि एक मुकदमे में सभी सबूतों पर विचार करने पर, जिसमें डॉक्टर और आई. ओ. सहित कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई थी, याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। दिनांक 07.05.2022 के बरी करने के आदेश को मानद बरी कहा जा सकता है, जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। विद्वान वकील सूचित करते हैं कि याचिकाकर्ता की आयु 04.11.2017 पर आवेदन पत्र भरने के समय 21 वर्ष थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था, उसकी आजीवन निंदा नहीं

की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त की और उसे बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित किया गया। वह चरित्र सत्यापन के लिए पेश हुआ था और अपेक्षित रूप में अपने खिलाफ उपरोक्त मामले के लंबित होने का खुलासा किया था। प्रकटीकरण 30.04.2019 पर किया गया था और अधिकारियों को आपराधिक मामले के प्रकटीकरण से संतुष्ट होने पर, याचिकाकर्ता को 29.05.2019 पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दरभंगा जिले के बेनीपट्टी पुलिस स्टेशन में 02.06.2019 पर तैनात किया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को सही जानकारी घोषित करते हुए नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उपरोक्त मामले के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। विद्वान वकील आगे सूचित करते हैं कि दिनांकित जाँच रिपोर्ट 17.11.2021 केवल एक निष्कर्ष दर्ज करके आरोपों को सही पाती है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र में आपराधिक मामले के लंबित होने से संबंधित जानकारी को दबा दिया था। जांच अधिकारी ने **अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एससीसी 471** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा अपेक्षित किसी अन्य तथ्य पर विचार नहीं किया है। बरी करने का आदेश 07.05.2022 पर दर्ज किया गया और इसे अनुशासनात्मक प्राधिकरण को दिनांकित 11.05.2022 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था जिसमें उनसे याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। इसके बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को खारिज करते हुए 20.06.2022 पर विवादित आदेश पारित किया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण को यह विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता को बरी करना सम्मानजनक था और पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया क्योंकि उसकी नियुक्ति से पहले आपराधिक मामले के लंबित होने का खुलासा करने के बाद उसका चरित्र पुलिस बल में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया गया था। याचिकाकर्ता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने रोजगार प्राप्त करने के

लिए महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया था, जितना कि नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले खुलासा किया गया था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता आवेदन पत्र जमा करने के समय केवल 21 वर्ष का था और हो सकता है कि उसने रोजगार के अवसर खोने के तत्काल जोखिम के कारण गलती की हो, लेकिन याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए यह कदाचार नहीं होगा, जिसने चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरने के समय अपने खिलाफ 2023 के आपराधिक मामले का खुलासा किया है।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2024 के आदेश के माध्यम से तैयार किए गए मुद्दे का उत्तर केवल सकारात्मक रूप से दिया जा सकता है कि आरोप आपराधिक मामले से संबंधित प्रकटीकरण के रूप में कदाचार का गठन नहीं करता है जो अनजाने में विज्ञापन संख्या 2 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र में नहीं किया जा सकता है और समर्थन में, उन्होंने अवतार सिंह (सुप्रा), रविन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) 5 एससीसी 264 और पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम संदीप कुमार (2011) 4 एससीसी 644 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है और ज्ञापन संख्या 1742 दिनांक 20.06.2022 और ज्ञापन संख्या 1620 दिनांक 27.06.2022 और अपीलीय आदेश दिनांक 14.02.2023 में निहित आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने की मांग की है।

प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतीकरण

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता ने अपने चयन के बाद चरित्र सत्यापन के समय आपराधिक मामले का खुलासा किया है, लेकिन बहुत ही प्रारंभिक चरण में, जबकि उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था, उसने खुलासा नहीं किया था कि आपराधिक मामला समस्तीपुर

मुफस्सिल पी. एस. मामला संख्या 291/2015 दिनांक 21.09.2015 लंबित होने का खुलासा नहीं किया था और आपराधिक मामले का खुलासा न करना याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कदाचार के समान होगा।

7. इस न्यायालय ने तर्क के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को याद दिलाया था कि क्या विज्ञापन संख्या 01/2017 दिनांक 16.09.2017 के आलोक में आवेदन पत्र में किया गया गलत खुलासा कदाचार के बराबर होगा।

8. जवाब में, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अनिल कुमार ने जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 15 और 16 पर भरोसा किया है, जो इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“15. वह ज्ञापन संख्या 821/डी. जी. पी. के अवलोकन से। (मुख्यालय), बिहार, पटना, दिनांक 21.05.2019 बिहार पुलिस नियमावली 1978 के नियम 673 के आलोक में, यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है/किया गया है, तो उक्त उम्मीदवार अपनी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

16. इसके बाद मिथिला क्षेत्रीय आदेश सं. 294/2022, ज्ञापन सं. 1742/सामान्य धारा, दिनांक 20.06.2022 के माध्यम से दरभंगा क्षेत्र के आई. जी. पुलिस, दरभंगा क्षेत्र के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को बिहार पुलिस नियमावली, 1978 के नियम 668 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए पुलिस सेवा से हटा दिया गया/मुक्त कर दिया गया।”

9. विद्वान अधिवक्ता ने बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 के नियम 673 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें निर्धारित प्रपत्र पी.एम. 101 में सत्यापन रोल तैयार करने का प्रावधान है और कहा कि याचिकाकर्ता जैसे साक्षर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सत्यापन प्रपत्र भरकर स्वयं हस्ताक्षर करें और उत्तर दें। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्रपत्र में सही खुलासा नहीं किया है और इस तरह, यह कदाचार के बराबर होगा। आगे प्रपत्र पी.एम. 101 के कॉलम संख्या 7 का उल्लेख करते हुए विद्वान वकील ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं करके गलत जानकारी दी है, हालांकि, वह कॉलम नं.7. याचिकाकर्ता ने आपराधिक मामले का संदर्भ दिया है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आरोप गंभीर अपराध है और उक्त एफ. आई. आर. का खुलासा न करना समस्तिपुर मुफस्सिल थाना मामला सं. 291/ 2015 का कॉलम नं. 7 कदाचार के बराबर होगा और याचिकाकर्ता को सेवा से हटाना कानून की नजर में उचित है।

10. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय पांडे ने राज्य की ओर से दिए गए तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि उसने आपराधिक मामले के संबंध में ऑनलाइन फॉर्म में कोई खुलासा नहीं किया है या क्या वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी है या घोषणा पत्र में आवश्यक नहीं है, जो प्रासंगिक समय पर अनुशासित सेवा में शामिल होने का इच्छुक था और उसका दमन कदाचार के बराबर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकरण से महत्वपूर्ण जानकारी का दमन और उसी की जानकारी प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस मामले पर भरोसा किया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्य के संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

11. समर्थन में विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम मेथु मेदा (2022) 1 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 और 21 में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता जो पुलिस सेवा में शामिल होने का इच्छुक था, वह अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास चरित्र एवं निष्ठा बेदाग होनी चाहिए होनी चाहिए और इस पृष्ठभूमि में, उसने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जैसा व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, वह अनुशासित बल की श्रेणी में उपयुक्त नहीं होगा। पैराग्राफ 20 और 21 के निर्णय को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जो प्रतिवादी पुलिस बल में शामिल होना चाहता है, वह अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास चरित्र एवं निष्ठा बेदाग होनी चाहिए होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में उपयुक्त नहीं होगा।नियोक्ता को बरी होने की प्रकृति पर विचार करने या तब तक निर्णय लेने का अधिकार है जब तक कि वह पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो जाता है क्योंकि उसके अपराधों में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के लिए खतरा पैदा करती है। इसलिए स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का काम जांच समिति को सौंपा है और समिति का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि दुर्भावनापूर्ण न हो। प्रदीप कुमार [राज्य (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश) बनाम प्रदीप कुमार, (2018) 1 एससीसी 797: (2018) 1 एससीसी (क्रि) 504: (2018) 1 एससीसी (एल एंड एस) 149] में, इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण

अपनाया है, जैसा कि मेहर सिंह [राज्य बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एससीसी 685: (2013) 3 एससीसी (क्रि) 669: (2013) 2 एससीसी (एल एंड एस) 910] में दोहराया गया था। राज कुमार [राज्य बनाम राज कुमार, (2021) 8 एससीसी 347: (2021) 2 एससीसी (एल एंड एस) 745] में इस न्यायालय द्वारा फिर से यही दृष्टिकोण दोहराया गया है।

21. जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, कानून सुस्थापित है। यदि किसी व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के आरोप से या गवाहों के मुकर जाने के कारण बरी कर दिया जाता है, तो यह उसे स्वचालित रूप से नौकरी के लिए हकदार नहीं बनाएगा, वह भी अनुशासित बल में। नियोक्ता को जाँच समिति द्वारा जारी परिपत्रों के संदर्भ में अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का अधिकार है। केवल कथित अपराधों का खुलासा और मुकदमे का परिणाम पर्याप्त नहीं है। उक्त स्थिति में, नियोक्ता को उम्मीदवार को नियुक्ति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों ने उक्त कानूनी स्थिति पर विचार नहीं किया है, जैसा कि ऊपर दिए गए आदेशों [भारत संघ बनाम मेथु मेदा, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 10701], [मेथु मेदा बनाम भारत संघ, 2013 की रिट याचिका संख्या 3897, दिनांक 27-9-2013 (एम. पी.)] में चर्चा की गई है। इसलिए, मेथु मेदा बनाम भारत संघ [मेथु मेदा बनाम भारत संघ, 2013 की रिट याचिका संख्या 3897, दिनांकित 27-9-2013 (एमपी)] और भारत संघ

बनाम मेथु मेदा [भारत संघ बनाम मेथु मेदा, 2013 एससीसी ऑनलाइन एमपी 10701] में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, कानून में संधारणीय नहीं हैं।"

12. विद्वान वकील ने आगे कहा कि उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने रवि कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3805/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 के अनुसार उक्त रिट याचिका के याचिकाकर्ता के संबंध में बर्खास्तगी आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 14, 16, 17 और 18 पर भरोसा किया है।

विक्षेपण और निर्णय:-

13. पक्षों को सुना गया।

14. निर्धारण के लिए जो विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र भरते समय आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने की आवश्यकता थी और क्या इस तरह का खुलासा न करने से वह पुलिस बल में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा, जिसे बाद में सफल घोषित किया गया था और जिसने जवाइनिंग दी थी और उसके बाद काम किया था? दूसरा, ऐसी परिस्थितियों में, क्या यह न्यायालय याचिकाकर्ता के संबंध में बर्खास्तगी आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर सकता है?

15. बेदाग चरित्र और सत्यनिष्ठा अनुशासित बल की रीढ़ है और इस संबंध में **मेथू मेदा (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही कानून घोषित किया जा चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा खुलासा न करने के संबंध में स्थिति को स्वीकार करते हुए,

यह न्यायालय बिहार पुलिस नियमावली के नियम 673 में निहित प्रासंगिक प्रावधान पर विचार करता है, जो निम्नानुसार है:

"673.(क) सत्यापन रोल।-- पी. एम. प्रपत्र सं. में एक सत्यापन सूची तैयार की जाएगी। 101 और सब-इंस्पेक्टर, रिजर्व सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल या किसी भी मंत्री पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के गृह जिले में सत्यापन के लिए भेजा जाता है। सब-इंस्पेक्टर, रिजर्व सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल या किसी भी अनुसचिवीय पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के गृह जिले में सत्यापन रोल तैयार किया जाएगा और भेजा जाएगा।

(ख) नियम 663 में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में छूट के तहत भर्ती किए गए अर्ध-साक्षर व्यक्तियों के मामले में रोल पर प्रश्न आरक्षित अधिकारी या अधीक्षक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित एक अधिकारी द्वारा उम्मीदवार के सामने रखे जाएंगे, और वह अधिकारी उत्तरों को लिखेगा, अपने पूर्ण हस्ताक्षर के साथ इन पर हस्ताक्षर करेगा और इन्हें उम्मीदवार के साथ, अधीक्षक के सामने पेश करेगा। साक्षर व्यक्ति स्वयं उत्तर भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। अधीक्षक, यदि उत्तरों से संतुष्ट होता है, तो रोल पर हस्ताक्षर करेगा, प्रदान किए गए स्थान में आदमी के बाएं अंगूठे की छाप लेगा और उसकी भर्ती के लिए एक आदेश पारित करेगा।

(ग) भर्ती आदेश।--इसके बाद भर्ती के लिए आदेश आदेश पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी और सत्यापन सूची उस जिले के अधीक्षक को भेजी जाएगी जिसमें भर्ती घर स्थित है। प्रेषण की संख्या और तिथि सेवा-पुस्तिका में

उचित स्थान पर दर्ज की जाएगी, और रोल की वापसी पर एक रिपोर्ट के साथ कि आदमी का चरित्र अच्छा है और उसने अपने पूर्वजों के बारे में एक सच्चा बयान दिया है, अधीक्षक इस प्रविष्टि को प्रारंभ करेगा, सेवा-पुस्तक में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और सत्यापन रोल दाखिल करने का आदेश देगा। यदि व्यक्ति का चरित्र खराब बताया जाता है या उसका बयान गलत बताया जाता है, तो उसे बल से हटा दिया जाएगा।"

16. पी. एम. प्रपत्र संख्या 101 में याचिकाकर्ता जैसे आवेदक को यह खुलासा करने की आवश्यकता होती है कि क्या वह कभी किसी आपराधिक या दीवानी मामले में आरोपी रहा है या चुने जाने के बाद कभी जेल में रहा है। प्रपत्र का खंड 7 इस प्रकार है:

"7. चाहे आवेदक पर कभी आपराधिक या दीवानी मामले में आरोप लगाया गया हो या वह कभी जेल में रहा हो। विवरण दें।"

17. आपराधिक मामले में निहितार्थ के प्रकटीकरण की आवश्यकता अपेक्षित प्रपत्र के नियम 7 के स्पष्ट अध्ययन से स्पष्ट है। ऊपर उद्धृत नियम 673(सी) के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि यदि सत्यापन फॉर्म में किया गया प्रकटीकरण/बयान झूठा पाया जाता है या चरित्र खराब बताया जाता है, तो बल से हटाने का परिणाम नियमों के तहत स्पष्ट है। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह रुख कि उसने चयन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने बरी होने के कारण आपराधिक मामले में अपने निहितार्थ का खुलासा नहीं किया था, स्पष्ट रूप से अस्थिर है। पी. एम. प्रपत्र सं. 101 का खंड 7 केवल लंबित आपराधिक मामले के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तथ्य के प्रकटीकरण की आवश्यकता है कि क्या आवेदक कभी आपराधिक या दीवानी मामले में आरोपी रहा है। नियम अपनी आवश्यकता में स्पष्ट है और किसी भी आवेदक के लिए यह समझने या इस राय पर पहुंचने का कोई

आधार नहीं है कि यदि किसी आपराधिक मामले में आरोप लगने से वह बरी हो गया है, तो उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

18. इसके अलावा, मुझे यह अवलोकन करना उपयुक्त लगता है कि याचिकाकर्ता को अपनी पूर्ववृत्तियों के बारे में सच्चा बयान नहीं देने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था; यह न्यायालय यह देखेगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि वह नियमावली के नियम 673(सी) के प्रयोजनों के लिए पहले क्षण में खराब चरित्र का व्यक्ति था। हालाँकि जब मैंने अवतार सिंह (ऊपर), के पैराग्राफ स. 38.1 और 38.4.3 में किए गए अवलोकन को ध्यान में रखते हुए तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा जिसमें यह यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए और यदि तकनीकी आधारों पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में पहले ही दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और यह निर्दोष रिहाई का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है और पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध हो सकता है, और निरंतरता के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

19. अवतार सिंह (सुप्रा) में निर्धारित कानून का पालन करते हुए, शीर्ष अदालत ने *रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* का मामला, (2024) 5 एस. सी. सी. 264 में रिपोर्ट किए गए पैराग्राफ 22, 24 और 25 में अवतार सिंह (ऊपर) में अनुच्छेद संख्या 34 से 38 में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया और कहा निम्नानुसार कहा:

22. इस मुद्दे पर कानून इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अवतार सिंह में दिए गए निष्कर्ष से निकलते हैं [अवतार

सिंह बनाम भारत संघ, (2016) 8 एस. सी. सी. 471:(2016) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 425]परिच्छेद 34,35,36 और 38, जो निष्कर्ष निकालते हैं, नीचे दिए गए हैं:(एस. सी. सी. पृष्ठ 506-508)

“34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और यह नियोक्ता के लिए पदधारी के पूर्ववृत्त का निर्णय करने के लिए खुला है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

35. " महत्वपूर्ण " जानकारी के दमन से यह अनुमान लगाया जाता है कि जिसे दबाया जाता है वह हर तकनीकी या तुच्छ मामले को "मायने" नहीं रखता है। नियोक्ता को उम्मीदवारी रद्द करने या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों/निर्देशों, यदि कोई हो, पर उचित विचार करते हुए कार्य करना होगा।यद्यपि एक व्यक्ति जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है, वह नियुक्ति या सेवा में अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मनमाने ढंग निपटाए जाने का अधिकार नहीं है और मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

36. किस मानदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है, उच्च पद में सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे, न कि केवल समान सेवा के लिए। निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों/सेवाओं के पद/प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैं:

38.1. एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

38.2. गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

38.3. नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:

38.4.1. तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है।

38.4.2. जहां दोषसिद्धि दर्ज की गई है, जो प्रकृति में मामूली नहीं है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी

प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5. ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

38.7. कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण होगी और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8. यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति

प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9. यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10. दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो उपयुक्तता के सवाल को संबोधित करते समय वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है।हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11. इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।” (जोर दिया गया)

24. अवतार सिंह बनाम भारत संघ, (2016) 8 एस. सी. सी. 471 ने भी कर्म में निर्णय पर ध्यान दिया।पुलिस आयुक्त बनाम संदीप

कुमार, (2011) 4 एससीसी 644 में, इस अदालत ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मिजरेबल्स में चरित्र "जीन वाल्जियन" की कहानी को प्रस्तुत किया, जिसमें चरित्र को अपने भूखे परिवार के लिए रोटी चुराने के लिए चोर के रूप में चिह्नित किया गया था। इसने मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस में लॉर्ड डेनिंग के उत्कृष्ट निर्णय पर भी चर्चा की और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:-

- “10. ... हमारी राय में, हमें हमें लॉर्ड डेनिंग द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमता का प्रदर्शन करना चाहिए।
11. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, युवा अक्सर लापरवाही करते हैं, जिन्हें अक्सर माफ कर दिया जाता है।
12. यह सच है कि आवेदन पत्र में प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया कि वह आई. पी. सी. की धारा 325/34 के तहत एक आपराधिक मामले में शामिल था। संभवतः उन्होंने इस डर से इसका उल्लेख नहीं किया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे स्वतः ही अयोग्य हो जाएंगे। किसी भी घटना में, यह हत्या, डकैती या बलात्कार जैसा गंभीर अपराध नहीं था, और इसलिए इस मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
25. इसके बाद, संदीप कुमार (ऊपर) से निपटने वाले अवतार सिंह (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“24. ... इस अदालत ने कहा है कि दमन एक मामले से संबंधित है जब संदीप कुमार की उम्र लगभग 20 वर्ष थी।

वे युवा थे और इस उम्र में लोग अक्सर लापरवाही करते हैं और इस तरह की लापरवाही को अक्सर माफ किया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को जीवन भर अपराधी घोषित करने के बजाय उसे सुधारने का होना चाहिए। *मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस में [मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यू. बी. 114:(1970) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 792 (सी. ए.)]*, की गई टिप्पणियाँ थीं कि युवा लोग कोई साधारण अपराधी नहीं हैं। उनमें कोई हिंसा, बेईमानी या बुराई नहीं है। वे वेल्श भाषा को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि उन्होंने गलत किया है लेकिन हमें उन पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें अपनी पढ़ाई, अपने माता-पिता के पास वापस जाने और अच्छे पाठ्यक्रम को जारी रखने की अनुमति दी गई।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को वर्तमान मामले के तथ्यों के समान ही देखते हुए पूरी तरह से संज्ञान लिया है और **कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम धवल सिंह** के मामले में पैरा 5 में टिप्पणी की है, (1999) 1 एससीसी 246 में रिपोर्ट की गई है, जिसे आगे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

5. यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी की ओर से आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में आवेदन पत्र में प्रासंगिक कॉलम के खिलाफ जानकारी देने में चूक की गई थी। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से 15-11-1995 पर अपीलार्थी को सूचित किया कि वह अनजाने में उसके खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में उपयुक्त कॉलम में उल्लेख करने में विफल रहा है और उसके पत्र को "सूचना" के रूप में माना जा सकता है। इस सूचना की प्राप्ति के बावजूद, प्रतिवादी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। 20-11-1995 पर उम्मीदवारी को रद्द करने के पुलिस उपायुक्त के

आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा 15-11-1995 पर दी गई जानकारी पर ध्यान नहीं दिया गया था। अपीलार्थी की ओर से यह अनिवार्य था कि वह उस आवेदन पर विचार करे और प्रत्यर्थी के इस रुख पर अपना मन लगाए कि उसने आदेश पारित करने से पहले अनजाने में गलती की थी। हालांकि ऐसा नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी ने निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद अनजाने में की गई गलती के बारे में जानकारी दी थी-यह उससे बहुत पहले की थी। यह भी स्पष्ट है कि जानकारी स्वेच्छा से दी गई थी। व्यर्थ में, क्या हमने पुलिस उपायुक्त के आदेश और अन्य रिकॉर्ड के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा 15-11-1995 पर दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी अवलोकन के लिए खोज की है और क्या उस आवेदन को उस दोष को ठीक करने के रूप में नहीं माना जा सकता है जो फॉर्म में हुआ था। हमें यह भी नहीं बताया गया है कि उस संचार का निपटारा कैसे किया गया। उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश पारित करने से पहले क्या सक्षम प्राधिकारी ने कभी इस पर गौर किया था? परिस्थितियों में उम्मीदवारी को रद्द करना बिना किसी उचित दिमाग के और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखे बिना था। इसलिए न्यायाधिकरण ने इसे उचित रूप से दरकिनार कर दिया। हम न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हैं, हालांकि थोड़ा अलग कारणों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। (जोर दिया गया)

21. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवलोकन और कानून का पालन करते

हुए, याचिकाजिस व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय खुद को लगभग 21 वर्ष की आयु का बताया है, उसने अविवेकपूर्ण कार्य किया हो सकता है, लेकिन यदि अविवेकपूर्ण कार्य को माफ नहीं किया जाता है तो इससे उसे जीवन भर अपराधी के रूप में ही चिन्हित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम संदीप कुमार के मामले में उक्त सिद्धांत को पुनः दोहराया, जिसकी रिपोर्ट (2011) 4 एससीसी 644 में दी गई है, जिसमें यह भी माना गया है कि "किसी व्यक्ति को जीवन भर अपराधी के रूप में ब्रांडिंग करने के बजाय उसे सुधारने का आधुनिक दृष्टिकोण होना चाहिए", मुझे उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 2 से 12 को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद लगता है।

“2. प्रतिवादी संदीप कुमार ने 1999 में हेड कांस्टेबल (मंत्री) के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन पत्र में यह मुद्रित किया गया था:

“12(क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा चलाया गया है, हिरासत में रखा गया है या बांध दिया गया है/जुर्माना लगाया गया है, किसी अपराध के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, किसी लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी परीक्षा/चयन में उपस्थित होने से प्रतिबंधित/अयोग्य घोषित किया गया है या किसी भी परीक्षा से प्रतिबंधित किया गया है, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी शिक्षा द्वारा निष्कासित किया गया है?अन्य प्राधिकरण/संस्था।”

उस कॉलम के खिलाफ प्रतिवादी ने लिखा:“नहीं ”।

3. यह आरोप लगाया जाता है कि यह प्रतिवादी द्वारा दिया गया एक झूठा बयान है क्योंकि वह और उसके परिवार के कुछ सदस्य आई. पी. सी. की धारा 325/34 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 362 के आपराधिक मामले में शामिल थे। इस मामले को स्वीकार किया गया कि 18-1-1998 पर समझौता किया गया था और प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों को 18-1-1998 पर बरी कर दिया गया था।

4. जनवरी 1999 में जारी विज्ञापन के जवाब में 2023 के पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.6827 के कुछ पदों को भरने के लिए। सिपाही (मंत्री), प्रत्यर्थी ने 24-2-

1999 पर आवेदन किया लेकिन अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि वह उपरोक्त आपराधिक मामले में शामिल था। प्रतिवादी ने अस्थायी हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) के पद पर चयन के लिए सभी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त की। 3-4-2001 पर उन्होंने प्रमाणन प्रपत्र भरा जिसमें पहली बार उन्होंने खुलासा किया कि वह अपने किरायेदार के साथ एक आपराधिक मामले में शामिल थे, जिसे बाद में 1998 में समझौता किया गया था और उन्हें बरी कर दिया गया था।

5. 2-8-2001 पर उन्हें एक कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया गया था जिसमें प्रतिवादी से यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने उपरोक्त आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के तथ्य को छुपाया था और अपने आवेदन पत्र में गलत बयान दिया था। प्रत्यर्थी ने 17-8-2001 पर अपना जवाब और एक अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत किया लेकिन अधिकारी उसी से संतुष्ट नहीं थे और 29-5-2003 पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी।

6. प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की जिसे 13-2-2004 पर खारिज कर दिया गया। उस आदेश के खिलाफ प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और इसलिए यह अपील की गई है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी को आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के तथ्य का

खुलासा करना चाहिए था, भले ही वह बाद में बरी हो गया हो। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि उनकी उम्मीदवारी को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था।

8. हम दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि उनकी उम्मीदवारी को रद्द करना अवैध था, लेकिन हम इस मामले में अपनी राय देना चाहते हैं। जब घटना हुई तो प्रतिवादी की आयु लगभग 20 वर्ष होनी चाहिए। उस उम्र में युवा लोग अक्सर लापरवाही करते हैं और इस तरह की लापरवाही को अक्सर माफ किया जा सकता है। आखिरकार युवा ही युवा होंगे। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे बड़े लोगों की तरह परिपक्व तरीके से व्यवहार करें। इसलिए, हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि युवाओं द्वारा की गई छोटी-मोटी लापरवाही को माफ किया जाए, न कि उन्हें जीवन भर के लिए अपराधियों के रूप में चिह्नित किया जाए।

9. इस संबंध में, हम विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मिजरेबल्स में "जीन वाल्जियन" चरित्र का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें अपने भूखे परिवार के लिए रोटी चुराने का एक मामूली अपराध करने के लिए जीन वाल्जियन को जीवन भर के लिए चोर के रूप में करार दिया गया था। आधुनिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को जीवन भर अपराधी के रूप में ब्रांडिंग करने के बजाय उसे सुधारने का होना चाहिए।

10. हम यहाँ लॉर्ड डेनिंग द्वारा अपनी पुस्तक इयू प्रोसेस ऑफ लॉ में उल्लिखित वेल्श छात्रों के मामले का भी उल्लेख कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वेल्स के कुछ छात्र

वेल्श भाषा को लेकर बहुत उत्साहित थे और वे परेशान थे क्योंकि रेडियो कार्यक्रम वेल्श में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में प्रसारित किए जा रहे थे। वे लंदन आए और उच्च न्यायालय पर हमला कर दिया। उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने कोर्ट ऑफ अपील में अपील दायर की। अपील की अनुमति देते हुए, लॉर्ड डेनिंग ने कहा:

“अब मैं श्री वॉटकिन पॉवेल के तीसरे बिंदु पर आता हूँ। उनका कहना है कि सजाएं अत्यधिक थीं। मुझे नहीं लगता कि वे अत्यधिक थे, जिस समय उन्हें दिया गया था और उस समय मौजूद परिस्थितियों में। यहाँ एक ऐसे मामले में न्याय के पाठ्यक्रम में जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया था जो उनकी चिंता का विषय नहीं था। न्यायाधीश के लिए यह दिखाना आवश्यक था-और हर जगह सभी छात्रों को दिखाना-कि इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर वे चाहें तो छात्रों को उन कारणों के लिए प्रदर्शन करने दें जिनमें वे विश्वास करते हैं। उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन करने दें जैसा वे करेंगे। लेकिन उन्हें इसे वैध तरीकों से करना चाहिए न कि गैरकानूनी तरीके से। अगर वे इस देश में न्याय के मार्ग पर प्रहार करते हैं-और मैं इंग्लैंड और वेल्स दोनों के लिए बोलता हूँ-तो वे समाज की जड़ों पर ही प्रहार करते हैं, और जो उनकी रक्षा करता है उसे वे नीचे लाते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने से

ही उन्हें छात्र बनने और अध्ययन करने और शांति से रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए उन्हें कानून का समर्थन करने दें और इसे निरस्त नहीं करने दें।

लेकिन अब क्या करना है? न्यायाधीश द्वारा पिछले सप्ताह बुधवार को पारित किए गए वाक्यों से कानून की पुष्टि हुई है। उन्होंने दिखाया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए और बनी रहेगी। लेकिन इस अपील पर चीजें बदल जाती हैं। ये छात्र अब कानून की अवहेलना नहीं करते हैं। उन्होंने इस अदालत में अपील की है और इसके लिए सम्मान दिखाया है। वे पहले ही एक सप्ताह जेल में बिता चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब इसके अंदर रखने की आवश्यकता है। ये युवा लोग कोई साधारण अपराधी नहीं हैं। उनमें कोई हिंसा, बेईमानी या बुराई नहीं है। इसके विपरीत, बहुत कुछ था जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। वे वेल्श भाषा को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। खैर उन्हें इस पर गर्व हो सकता है। यह कवियों और गायकों की भाषा है जो हमारी रूखी अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक मधुर है। उच्च अधिकार पर, यह वेल्स में अंग्रेजी के बराबर होना चाहिए। उन्होंने गलत किया है- बहुत गलत- जो उन्होंने किया। लेकिन, यह दिखाए जाने के बाद, मुझे लगता है कि हम उन पर दया कर सकते हैं और उन्हें करनी चाहिए। हमें उन्हें अपनी पढ़ाई, अपने माता-पिता के पास वापस जाने की अनुमति

देनी चाहिए और उस अच्छे पाठ्यक्रम को जारी रखना चाहिए जिसे उन्होंने गलत तरीके से बाधित किया है।”

(मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस [(1970) 2 क्यू. बी. 114: (1970) 2 डब्ल्यूएलआर 792:(1970) 3 सभी ई. आर. 1079 (सी. ए.)], पी. पर क्यू. बी.125 सी-एच.)

हमारी राय में, हमें वही समझदारी प्रदर्शित करनी चाहिए जो लॉर्ड डेनिंग ने प्रदर्शित किया था।

11. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, युवा अक्सर लापरवाही करते हैं, जिन्हें अक्सर माफ कर दिया जाता है।

12. यह सच है कि आवेदन पत्र में प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया कि वह आई. पी. सी. की धारा 325/34 के तहत एक आपराधिक मामले में शामिल था। संभवतः उन्होंने इस डर से इसका उल्लेख नहीं किया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे स्वतः ही अयोग्य हो जाएंगे। किसी भी घटना में, यह हत्या, डकैती या बलात्कार जैसा गंभीर अपराध नहीं था, और इसलिए इस मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

22. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र में आपराधिक मामले का खुलासा न करने के आधार पर यह विचार किए बिना खारिज कर दिया है कि आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता की ओर से चूक थी, लेकिन पीएम फॉर्म स. 101 भरने के समय स्वेच्छा से घोषित किया गया था। इस संबंध में, शीर्ष अदालत ने अवतार सिंह (सुप्रा) मामले में, संदीप कुमार (सुप्रा) के मामले में, पैराग्राफ नं. 24, में यह स्पष्ट किया कि किसी मामले से संबंधित दमन जब आवेदक की आयु लगभग 20 वर्ष थी, वर्तमान मामले में 21 वर्ष और ऐसी आयु में, लोग अक्सर अविवेकपूर्ण कार्य

करते हैं और इस तरह के अविवेक को अक्सर माफ किया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन के लिए अपराधी के रूप में ब्रांडिंग करने के बजाय उसे सुधारने का होना चाहिए। मैं पाता हूँ कि शीर्ष न्यायालय द्वारा अनुच्छेद सं. में निर्धारित उपरोक्त कानून के आलोक में। 24 अवतार सिंह (सुप्रा) में, सेवा में लेने से पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र में खुलासा न करने के आधार पर याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने रोजगार के अवसर को खोने के तत्काल जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय गलती की होगी, याचिकाकर्ता चयनित होने में सफल हो गया और सेवा में शामिल होने से पहले उसने चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरने के समय सही जानकारी दी है।

23. इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि ज्ञापन संख्या 1742 दिनांक 20.06.2022 में निहित और ज्ञापन संख्या 1620 दिनांक 27.06.2022 के माध्यम से संप्रेषित और दिनांक 14.02.2023 के अपीलीय आदेश में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की उपयुक्तता के संबंध में स्वीकार की गई स्थिति पर विचार करते हुए हस्तक्षेप की आवश्यकता है जो उसकी पात्रता और पुलिस नियमावली के नियम 673 (सी) में निहित जानकारी पर आधारित है।

24. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर की गई चर्चाओं और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, ज्ञापन संख्या 1742 दिनांक 20.06.2022 में निहित आदेश और ज्ञापन संख्या 1620 दिनांक 27.06.2022 के माध्यम से संप्रेषित और 14.02.2023 दिनांकित अपीलीय आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

25. अधिकारियों को कानून के अनुसार सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया जाता है।

26. रिट याचिका की अनुमति है।

27. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

मन्त्रेश्वर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।